...यालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला–पाली) राज०

...ीन अधिकारी : श्री डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर०ए०एस०

...व वाद पत्र संख्या : 41/2021

...S No. : 2021/77

वादी :– बनाम प्रतिवादीगण :–

तहसीलदार, जैतारण
लैण्ड होल्डर राजस्थान सरकार
तहसील–जैतारण, जिला–पाली

1. श्री भागीरथ पुत्र लालाराम जाति जाट निवासी बांझाकुड़ी तहसील जैतारण।
2. मनोहरकंवर पत्नी प्रकाशमल कौम ओसवाल साकिन बिलाड़ा हाल जैतारण।

राजस्व वाद पत्र बाबत् **बेदखली अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी, अधिनियम, 1955**

तारीख रजू :– 24.03.2021

...पस्थितः– 1. तहसीलदार, जैतारण उपस्थित।
2. श्री किशोर कुमावत,श्री रामस्वरूप चौधरी, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण।

–:: निर्णय ::– **दिनांक :– 21.03.2022**

वादी राज्य सरकार की ओर से तहसीलदार जैतारण लैण्ड होल्डर ने वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि **खसरा नंबर 87 कुल रकबा 08–05 बीघा, मौजा जैतारण** में स्थित है उक्त आराजी का वादी भूमि लैण्ड होल्डर है। प्रतिवादीगण आराजी जैर बहस के खातेदार काश्तकार है। यह है कि प्रतिवादी नंबर 01 लगायत 02 ने साथ मिलकर जमीन वर्णित पैरा 01 वादपत्र को कृषि के रूप में काम में न लेकर उक्त जमीन को बिना विधिक प्रकिया अपनाएं किस्म परिवर्तित कर आवासीय कॉलोनी काटकर खुर्द बुर्द कर रहे है जिसका प्रतिवादीगण को हक नहीं है प्रतिवादीगण ने राजस्थान कानून के प्रावधानों व टीनेन्सी की शर्तो .को भंग किया एवं बिना संपरिवर्तन आदेश के भूमि की किस्म को परिवर्तन की है, जिससे राजस्थान सरकार को राजस्व का नुकसान हुआ है। प्रतिवादीगण द्वारा टीनेन्सी की शर्तो को भंग करने व राजस्थान सरकार के खिलाफ हानिप्रद कार्य करने के कारण अब प्रतिवादीगण को जमीन वर्णित पैरा 01 वादपत्र से बेदखल किया जाना व स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना न्यायोचित हैं दावा हाजा के लिए मुखासमत **दिनांक 14.03.2021** को पैदा हुआ जब भू. अ.निरीक्षक ने वादी को प्रतिवादीगण द्वारा जमीन वर्णित पैरा 01 वादपत्र से के अवैध रूप से **आवासीय कॉलोनी (प्लॉटिंग)** का कार्य करने की सुचना जरिये रिपोर्ट दी। वादपत्र को सुनने का हक अदालत हाज को धारा 177 92क, आर.टी एक्ट 1955 के तहत है। वाद वादी मय शपथ पत्र व डुप्लीकेट प्रति के पेश कर निवेदन है कि वाद बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण डिक्री फरमाया जाकर वर्णित पैरा 01 वादपत्र से बेदखल किया जावे तथा प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे जमीन वर्णित पैरा 01 वादपत्र को खुर्द बुर्द नहीं करे। अन्य सिद्धि जो मुफिद वादी हो एवं 289 आरटी एक्ट के तहत कार्यवाही की जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 17:43:43 IST
Reason: SelfAttested

इस पर वाद–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से वकालतनामा पेश हुआ। जवाब दावा पेश किया जो शामिल मिसल किया गया, जवाब दावा में जाहिर किया कि वादपत्र के पद संख्या 01 में वर्णित अनुसार आराजी खसरा नम्बर 87 रकबा 08 बीघा 05 बिस्वा मौजा जैतारण पटवार हल्का जैतारण में प्रतिवादीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि आई

पदेन सहायक कलक्टर, जैतारण, जिला–पाली

है। उपरोक्त वर्णित आराजी का जवाब देहन्दा वर्तमान में काश्त के रूप में उपयोग ले रहे है किसी भी आवासीय प्रयोजनार्थ अर्थात आवासीय कॉलोनी के रूप में काम में नही रहे है। इस वादपत्र के पद संख्या 02 में वर्णित कथन पूर्णतया असत्य झूठे व बुनियाद होने से अस्वीकार है। इस प्रकार प्रतिवादीगण ने किसी भी तरह की टीनेन्सी र्तों को भंग नही किया है। उनके नाम की खातेदारी भूमि पर वह काश्त का कार्य कर हे है तथा उक्त भूमि वर्तमान में पशुओ के चारे के लिए चारा हेतू रख रखी है। दिनांक 4.03.2021 को वादग्रस्त आराजी में कोई गैरकानूनी या अकृषि कार्य नही हो रहा था था जवाब देहन्दा को इस संबंध में कोई नोटिस नही दिया गया था न ही फर्द मौका रिपोर्ट तैयार की गई थी। वादपत्र के पद संख्या 6 में वादी ने जो अनुतोष चाहा है वह जवाब देहन्दा के विरूद्ध प्राप्त करने का अधिकारी नही है क्योकि वादी ने अपने वादपत्र में ऐसा कोई दस्तावेज पेश नही किया या ऐसी कोई फर्द मौका रिपोर्ट पेश नही की जिससे यह साबित हो सके कि उक्त कृषि भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ के रूप में उपयोग उपभोग ली जा रही हो तथा वादी ने केवल मात्र जवाब देहन्दा को हैरान परेशान करने की गरज से झूठा व आधारहीन वादपत्र पेश किया जो काबिल खारिज के है। प्रतिवादी संख्या 2 ने जवाब दावा पेश कर जाहिर किया कि सरहद मौजा खसरा संख्या 87 रकबा 08-05 बीघा में प्रतिवादी बहिस्से अपनी भूमि पर काबिज है और काश्त करते आ रही है। वादी तहसीलदार जैतारण ने जो दावा बाबत् बेदखली अन्तर्गत धारा 177 राज. काश्त. अधि. 1955 पेश किया है जो मौके की स्थिति अनुसार नही है। उक्त भूमि सहखातेदारी भूमि है जो मौके पर बहिस्से बंटी हुई है और खातेदार अपने- अपने हिस्से पर कायम है। जिसमें प्रतिवादीया मौके पर अपने हिस्से पर कायम और काश्त करता आ रही है। प्रतिवादी ने अपने हिस्से की भूमि पर किसी प्रकार की कोई अवैध रूप से आवासीय कॉलोनी नही काट रखी है और न ही कृषि भूमि के भूखण्डो का किसी प्रकार से कोई हस्तान्तरण किया है। प्रतिवादी ने राजस्थान काश्तकारी कानून के प्रावधानो व टीनेन्सी की किसी भी शर्तो को भंग नही किया है।, वादी का प्रतिवादीगण के विरूद्ध प्रस्तुत दावा निरस्त योग्य है। वादी की ओर से प्रस्तुत वादपत्र काबिल खारिज के होने से खारिज किया जावें।

बहस वादी सरकारी पैरोकार तहसीलदार जैतारण एवं उभयपक्ष अधिवक्ता की सुनी गई। पत्रावली मय दस्तावेजात, जबाब कार्यवाही मय फहरिश्त दस्तावेज का गहनता से अवलोकन किया गया। बहस पर गौर कर मनन किया गया। प्रकरण का बिन्दूवार विवेचन एवं निर्णयन निम्नानुसार है-

1. वादी तहसीलदार जैतारण द्वारा हस्तगत दावा अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रतिवादीगण खातेदारान् द्वारा ग्राम जैतारण में स्थित वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 87 रकबा 08-05 बीघा किस्म बारानी दोयम जो कि कृषि भूमि है पर बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये किस्म परिवर्तित कर आवासीय कॉलोनी काटकर खुर्द बुर्द कर रहे है तथा टीनेन्सी की शर्तो का भंग किया गया है। अतः वादपत्र स्वीकार किया जाकर खातेदारान् को मौके से बेदखल किया जावे एवं स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 17:43:43 IST
Reason: SelfAttested

वादपत्र के साथ प्रस्तुत पटवारी रिपोर्ट मौका एवं मौके के फोटोग्राफ के अनुसार खातेदार भागीरथ एवं मनोहरकंवर द्वारा वादग्रस्त आराजी पर मौके पर प्लॉटिंग करके सम्पूर्ण भूमि पर आवासीय कॉलोनी काटकर कृषि से अकृषि उपयोग में लिया जा रहा है।

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

प्रतिवादीया मनोहरकंवर द्वारा जवाब प्रस्तुत कर कथन किया कि वह वादग्रस्त आराजी है अपने हिस्से अनुसार मौके पर काबिज काश्त है। तथा भूमि को कृषि कार्य के रूप में काम में लेती रही है तथा किसी भी टिनेन्सी शर्तो का उल्लघंन नही किया है। अतः प्रस्तुत वाद निरस्त फरमाने का श्रम करावे।

3. प्रतिवादी भागीरथ द्वारा जवाब प्रस्तुत कर कथन किया कि वह वादग्रस्त आराजी पर काबिज खातेदार काश्तकार है तथा वर्तमान में उक्त आराजी को काश्त के रूप में उपयोग में ले रहे है। किसी भी आवासीय प्रयोजनार्थ काम में नही ले रहे है तथा न ही किसी प्रकार की प्लॉटिंग आदि की गई है। तथा किसी प्रकार की टिनेन्सी शर्तो का उल्लघंन नही किया गया है। अतः वादपत्र निरस्त योग्य है।

4. वादपत्र के साथ प्रस्तुत फोटोग्राफ के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी के चारो तरफ पक्की चारदीवारी की गई है तथा अन्दर प्लॉटिंग एवं सड़क आदि के निशानात् दृष्टिगोचर है। जवाब देहन्दा खातेदारान् द्वारा वादग्रस्त आराजी जो कि कृषि भूमि है का कृषि प्रयोज़नार्थ उपयोग उपभोग किए ज़ाने के संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही किया है तथा न ही वादग्रस्त आराजी की खसरा गिरदावरी प्रस्तुत की है जो कि भूमि पर कि जाने वाली काश्त का प्रमाण होती है। इस प्रकार यह भली भांति साबित होता है कि खातेदारान् द्वारा वादग्रस्त आराजी का मौके पर बिना संपरिवर्तन कराये एवं बिना किसी सक्षम स्वीकृति के कृषि भिन्न आवासीय प्रयोजनार्थ उपयोग आरम्भ किया गया है। जो कि कृषि भूमि के लिए अहितकर कार्य की श्रेणी में आता है। अतः हस्तगत वादपत्र भली भांति साबित होने से इसे स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त आराजी को सिवाय चक खाता सरकार दर्ज करते हुए प्रतिवादीगण/प्रतिवादीगण के प्रतिनिधि, नौकर, सेवक, क्रेता आदि जो भी हो को मौके से बेदखल किया जावे, तथा मौके पर किए गए समस्त कृषि भिन्न निर्माण आदि संरचनाओ को ध्वस्त किया जाना विधि संगत एवं उचित होगा।

–: आदेश :–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वाद–पत्र अंतर्गत धारा–177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 भली भांति साबित होने एवं सारवान होने से स्वीकार किया जाता है। वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा– जैतारण, तहसील– जैतारण, खसरा नम्बर 87 रकबा 08–05 बीघा, किस्म– बारानी दोयम में से प्रतिवादीगण के खातेदारी अधिकारों को विलोपित करते हुए उक्त आराजी को सिवायचक खाता सरकार दर्ज करते हुए तहसीलदार जैतारण को निर्देशित किया जाता है कि भू अभिलेख में से प्रतिवादीगण का नाम विलोपित कर सिवाय चक दर्ज करे तथा उपर्युक्त आराजी पर से प्रतिवादीगण/प्रतिवादीगण के प्रतिनिधि, नौकर, सेवक, क्रेता आदि जो भी हो, को मौके से बेदखल किया जाए तथा मौके पर किए गए समस्त कृषि भिन्न निर्माण आदि संरचनाओ को ध्वस्त करते हुए आराजी को पुनः कृषि स्वरूप प्रदान करे। इसी मुताबिक पर्चा डिक्री पृथक से जारी होकर शामिल पत्रावली हो जो इस निर्णय का भाग होगा। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक कम होते हुए दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 17:43:43 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 21/03/2022 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण,
(जिला–पाली)

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई
(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अदालत :- सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, मुकाम:- जैतारण
ास :- श्री डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0

प्रार्थी :- बनाम अप्रार्थीगण :-

तहसीलदार, जैतारण
ण्ड होल्डर राजस्थान सरकार
हसील-जैतारण, जिला-पाली

1. श्री भागीरथ पुत्र लालाराम जाति जाट निवासी बांझाकुड़ी तहसील जैतारण।
2. मनोहरकंवर पत्नी प्रकाशमल कौम ओसवाल साकिन बिलाड़ा हाल जैतारण।

व वाद पत्र बाबत् **बेदखली अन्तर्गत धारा ,**
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 **मु0न0 :रा0वा0 स0: 41/2021**

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू ....-........ व हाजरी श्री ीलदार जैतारण, वादी मिनजानिब मुद्धई व श्री किशोर कुमावत, श्री रामस्वरूप चौधरी वक्ता, प्रतिवादीगण मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है वाद वादी र्गत धारा-177, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 भली-भाँति साबित होनें से कार किया जाता है। वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा- जैतारण, तहसील- जैतारण, खसरा र 87 रकबा 08-05 बीघा, किस्म- बारानी दोयम में से प्रतिवादीगण के खातेदारी कारों को विलोपित करते हुए उक्त आराजी को सिवायचक खाता सरकार दर्ज करते हुए सीलदार जैतारण को निर्देशित किया जाता है कि भू अभिलेख में से प्रतिवादीगण का नाम ोपित कर सिवाय चक दर्ज करे तथा उपर्युक्त आराजी पर से प्रतिवादीगण/प्रतिवादीगण के ानिधि, नौकर, सेवक, क्रेता आदि जो भी हो, को मौके से बेदखल किया जाए तथा मौके किए गए समस्त कृषि भिन्न निर्माण आदि संरचनाओ को ध्वस्त करते हुए आराजी को कृषि स्वरुप प्रदान करे। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक कम होते हुए ख़िल दफ्तर हो।

ा .....-.....मुबलिक.....-.....बाबत......-.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शरह ....-......फीस सदी ाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....-......को अदा करें ।
बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 21/03/2022 को जारी किया ा ।

ोहर

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकरी जैतारण
(जिला-पाली)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, जैतारण, जिला-पाली

ुद्धई	रूपये	पैसे	मुद्धायलाह	रूपये	पैसे
अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा	02-00	
ाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी	02-00	
ाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
हनताना वकील			खर्चा गवाहान		
र्चा गवाहान			फीस क[illegible]		
ीस कमीश्नर			बाबत [illegible]राय [illegible]मनामा		
ाबत ईजराय हुक्मनामा			[illegible]		
मिजान:-	— Nil —		मिजान:-	04-00	

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 17:43:43 IST
Reason: SelfAttested

नोट:- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें।